

मौका कर्द

आज दिनांक 18-11-25 को इरगाव में मिली सूचना के आधार पर राजस्व मात सीड में आवासी क्षेत्र में स्थित श्रीभाराम पुत्र जवाराम नक्का नदी के ठानी/मकान में आग लगने से मौके पर पहुँचा।

मौके पर श्रीभाराम पुत्र जवाराम को रहने हेतु कनी सोपडी में अज्ञात कारण से आग लगा गई जिसके कारण सोपडी में रखा घरेलू सामान जलकर राखा हो गया बसके साथ दो जोड़ी चाँदी की पाजेक, 2 सोपे की जंगूधी रखी सेट, चाँदी के कपडे, मंगलसूत्र कान के सूंके आदि सोपे चाँदी के अडमलवीर शक्ति 7 लाख लगे गॉट 2 क्विंटल गेहूँ, 8 क्विंटल मोठ, 3 क्विंटल बाजरा, 1 क्विंटल शेरा आदि जलकर राखा हो गया। 1 लाख लागत कागरी और कच्चा सामान जलकर राखा हो गया।

मौके पर कर्द बख बगई गयी तथा मौके पर मौतदिरत तथा ग्राहक पंचायत आशाकच (खंराच) धाराम गमक मौजद रहे।

मौके पर हस्ताकट लिमे गये कर्द पक्कट छोड़े गयी

खेलान - फोटो


प्रशासक
ग्रामपंचायत झड्ड
धंरा नैलायत (जिला-बीकानेर)


रविन्द्र सिंह बजारा
जटफवासी
पटवार हल्का 552
तह. कोलायत जिला बीकानेर



आदि
श्रीभाराम

गोमती

राजराज

General Diary Details (रोजनामचा का विवरण)

District (जिला): BIKANER

State (राज्य): RAJASTHAN

P.S. (थाना): KOLAYAT

a) G.D. No. (दैनंदिनी सं.): 026

b) G.D. Date (दैनंदिनी दिनांक): 20/11/2025 14:19 PM

c) G.D. Type (दैनंदिनी प्रकार): जांच / पंजीकरण

d) G.D. Sub Type (दैनंदिनी उप आग की घटना)

e) Beat Area (बीट संख्या):

f) FIR Number (प्र.सं.नं.):

LIST OF STAFF (कर्मचारियों की सूची):

S.No. (सी.)	Name (नाम)	Rank (पद)	SSO ID (एसएसओ आईडी)
1	Jasveer Kumar	निरीक्षक	RJBI200809000476

g) GD Subject (रोजनामचा विषय): आगजनी रपट,

h) GD Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

अज दिनांक 20.11.2025 के वक 02.18 पीएम पर श्री राजूराम पुत्र श्री भीयराम जाति नाइ उष 34 वर्ष निवासी नाईयो का मोहल्ला, चकविजयसिंहपुरा रोड झड्डु तहसील कोलायत जिला बीकानेर में उपस्थित थाना आकर एक लिखित रिपोर्ट सलग गोका फर्ट पटनारी की पेश की। सेवामे, श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना श्रीकोलायत विषय- मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम झड्डु में नाईयो का मोहल्ला में चक विजयसिंहपुरा रोड पर मकान बना कर रह रहा है दिनांक 18/11/25 के दिन में शाम 4.30 बजे अचानक आग लग गई जिसमे प्रार्थी के दो झोपडो जल गये झोपडो में रखा घरेलू सामान व दो जोड़ी चाँदी की चयजेव, 2 सोने की आगुठी, रबडी सेट, चाटी के कडले, मगल सूत्र कान के झुम्के व 2 फिटल गेहू, 8 फिटल मोठ, 3 फिटल बाभरा, 1 फिटल मूग आदि जल गये 1 लाख रुपये नकद व घरेलू सामान विस्तर, कपडे इत्यादि जल गये प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है प्रार्थी के सामने मकान व खाने पीने का सामान की समस्या हो गयी है। अन श्रीमान जी निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का बड फरे दिनांक 20/11/25 एसडा राजूराम प्रार्थी राजूराम पुत्र भीयराम जाति नाई निवासी नाईयो का मोहल्ला चकविजयसिंहपुरा रोड झड्डु 9660313372 उपरोक्त रिपोर्ट से मामला दाणी के मकान (झोपडा) में अचानक आग लगने से नुकसान कारित होना पाया गया जिस पर रपट आगजनी की दर्ज कर एक प्रति परिवारी को निशुल्क दी गई। जांच श्री सहोराम सउनि के जिम्मे की गई।

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की 20/11/2025 14:19 बजे

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट) Jasveer Kumar
I (Inspector)

राजूराम

Signature (हस्ताक्षर):

Name Jasveer Kumar

Rank थानाधिकारी

No. पुलिस थाना कोलायत

जिला-बीकानेर (राज.)



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0516/16734/00235

To
राजू राम
Raju Ram
S/O: Bhiya Ram,
ward no. 05,
VTC: Jhajhoo,
PO: Jhajhoo,
Sub District: Kolayat,
District: Bikaner,
State: Rajasthan,
PIN Code: 334302,
Mobile: 9660313372

Signature Not Verified
Digitally signed by Raju Ram
Unique Identification Authority of India
DN: cn=Raju Ram, o=UIDAI



आपका 'आधार' क्रमांक / Your Aadhaar No. :
4060 1068 2837
VID : 9148 6621 5650 1678

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



राजू राम
Raju Ram
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1991
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/
ऑनलाइन एमआधार की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication, or scanning of QR code / offline XML).

4060 1068 2837

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट करना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



Details as on: 24/11/2025

पता:
आत्सव: भीया राम, वॉर्ड न. 05, झड़, झड़, बीकानेर,
राजस्थान - 334302

Address:
S/O: Bhiya Ram, ward no. 05, Jhajhoo, PO: Jhajhoo,
DIST: Bikaner,
Rajasthan - 334302



4060 1068 2837

VID : 9148 6621 5650 1678

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
जन-आधार कार्ड



जन-आधार



परिवार पहचान संख्या : 5138433545
नाम : गोमती देवी
लिंग : महिला
जन्म तिथि : 01-02-1995
व्यक्तिगत पहचान संख्या : 83968705939
परिवार बैंक खाता संख्या : XXXXXXXX0745
वर्तमान पता : बार्ड न 05, झड़ू, झड़ू, कोलायत,
बीकानेर, 334302

परिवार पहचान संख्या 5138433545

परिवार का विवरण

क्र.सं.	नाम	लिंग	मुखिया से सम्बंध	जन्म तिथि	व्यक्तिगत पहचान संख्या
1	राजू राम	पु.	पति	01-01-1991	96546719276



टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127
www.janaadhaar.rajasthan.gov.in



मेरा अधिकार मेरे हाथ



सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, स्पेशल चरित्र (Special Characters) का प्रयोग करें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे जन्मदिनांक और पते का उपयोग न करें।
- अज्ञात भेजकों द्वारा भेजे गए संदेशों को न खोलें, कहीं भी कहीं न कहीं।
- साइट्स से पहले ही उन संदेशों को खोलें जिनका भेजक की पहचान नहीं है।
- अज्ञात व्यक्तिगत की संदेशों पर क्लिक न करें।
- यूएवीआई के दुरुत कनेक्शन के लिए SBI का SB सर्विस कोड के साथ ही आदेश।
- SBI, SBIBNK, SBILNB, SBYONO, ATMSBI

सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
1800-11-22-11/1800-425-3800/1901234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBILNB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/1901234/1800111109.



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

To report any suspicious activity, kindly email on report_phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930. For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>

शारदा प्रसाद
BRANCH MANAGER

जारी दि. - 37339752222
Bajuram / Bhima Ram
SBI00031519

ता. बायरा

ता. फंसला

विक्रय विलेख

(प्रनुसूचि ३ देखिये नियम २७१)

★ पंचायत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय-विलेख ★

(नियम द्वारा खरीदी गई आबादी भूमि के बेचान नामे का प्रपत्र)

यह विक्रय-विलेख दिनांक को एक और पंचायत जो कि राज. पंचायत एक्ट १९५३ (राजस्थान एक्ट २१, सन १९५३) के अधीन स्थापित की गई है या स्थापित हुई मानी गई है, और जो उक्त एक्ट की धारा ५७ के उपबन्धों के अनुसार निगम निकाय है, जिसे इसमें आगे विक्रेता" संघित किया गया है और दूसरी ओर धी पुत्र जाति निवासी पंचायत समिति (जिसे इसमें आगे 'क्रेता' सम्बोधित किया गया है) के बीच सम्पादित किया जाता है।

चूंकि -

- (१) इसमें संलग्न प्रनुसूचि में वर्णित और इसमें संलग्न नक्शे में जिसमें वह लाल स्याही से सीमित बताई गई है, अधिक विशिष्ट रूप में वर्णित भूमि क्रेता के प्रयोजन के लिए क्रेता के अधिकार में निहित की गई है।
- (२) उक्त भूमि दिनांक दिन को (धी के भूमि के क्रय हेतु आवेदन पत्र के प्रनुसरण में) विक्रेता को और से विक्रयार्थ पंचायत सामान्य नियम के नियम नीलाम/हस्तान्तरण आवंटन की गई थी और क्रेता को रूपों की बोली, उच्चतम होने के कारण तथा/
- (क) नियम के द्वारा निजी बातचीत द्वारा हस्तान्तरण की रूपये
- (ख) नियम के द्वारा भूमियों का निशुल्क आवंटन की रूपये की होने के कारण स्वीकृत की गई थी और विक्रेता पंचायत के संकल्प संख्या दिनांक द्वारा और नियम के द्वारा पंचायत समिति/कलेक्टर/राज्य सरकार/ की आज्ञा संख्या द्वारा और दिनांक द्वारा पुष्ट कर दी गई है।

(३) उक्त नीलाम/हस्तान्तरण/आवंटन/आवंटन के अनुसार किया गया था तथा (४) क्रेता ने विक्रेता के जमा खाते में अक्षरों रूपों की उक्त राशि जमा करा दी है।

अब यह विक्रय-विलेख निम्नांकित तथ्यों का साक्षी है-

(१) उक्त विक्रय हेतु नीलाम/हस्तान्तरण/आवंटन के अनुमरण में और उपरोक्त के अनुसार दी गई) रूपये की राशि जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल के रूप में विक्रेता एतद् द्वारा क्रेता को इससे संलग्न प्रनुसूचि में वर्णित और इसमें संलग्न नक्शे में, जिसमें वह लाल स्याही से सीमित बताई गई है, अधिक विशिष्ट रूप में वर्णित भूमि का क्रेता द्वारा अधोध स्वामी के रूप में, ऐसे उपकारों और करों के भुगतान के अधीन रहते हुए जो उस पर विधिवत रीति से निर्धारित या आरोपित किये जाय और राज. पंचायत एक्ट १९५३ या उसके अधीन निमित्त नियमों व उपविधियों, जो तत्समय प्रभावशील हों, द्वारा आरोपित निबन्धनों के अधीन रहते हुए धारण करने के लिए हस्तान्तरण करती है। यह एतद् द्वारा माना जाता है कि पद 'विक्रेता' जो इसमें पहले प्रयुक्त किया गया है, मैं विक्रेता के उत्तराधिकारी और उसके अभिहस्तांकृत सम्मिलित हैं, तथा पद 'क्रेता' जो इसमें पहले प्रयुक्त किया गया है, मैं उसके वारिस प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अभिहस्तांकृत सम्मिलित है। (नोट- स्वीकार की जाने वाली प्रनुसूचि तथा नक्शा) दिनांक इसके साथ है।

मुहर

(पं० के संकल्प संख्या)

हताक्षर उपपत्र
.....

साक्षी १
साक्षी २

दिनांक के अनुसरण में)

.....

